कन्ट्री फर्स्ट अवार्ड

किन्ट्री फर्स्ट अवार्ड, नई दिल्ली की सभा में दिनांक 13.04.2007 में दिया गया न्यायमूर्त्ति श्री रमेशचन्द्र लाहोटी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, भारत का वक्तव्य]

आज की इस सभा में मैं यघिप मुख्य अतिथि के स्थान पर आसीन हूं तथािप दो बातें अपने संक्षिप्त संबोधन के प्रारंभ में ही व्यक्त कर देना चाहता हूं। मैं यहां भारतवर्ष के पूर्व प्रधान न्यायाधीश की हैसियत से नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के एक आम नागरिक के रूप में आमंत्रित किया गया हूं और इसी हैसियत से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज इस देश का प्रत्येक साधारण नागरिक Ёदय में एक पीड़ा का अनुभव करता है और वह पीड़ा मेरे मन में भी है। मुझे विश्वास है कि इस पीड़ा को दूर करने वाला मरहम 'Country First' के पास है। द्वितीय, यह कि न तो 'Country First' कोई राजनैतिक संस्था है और न मेरा राजनीति करने का कोई इरादा है, न कोई राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक जो विभिन्न संस्थाओं अथवा समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी एक समान सोच है और एक समान

धरातल पर कुछ विचार विनिमय करना मेरा उँ। एय है।

26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर किए। इस संविधान की र्जोशिका के अनुसार भारतीय प्रजातंत्र के चार र्जोश्य हैं जो इस देश के नागरिकों के हित में रचे होने चाहिए। ये हैं- न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंध्ता। प्रत्येक शब्द की विषद व्याख्या है। न्याय का अर्थ अदालतों में होने वाला इंसाफ नहीं है; न्याय का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। बंधुता केवल भाईचारा नहीं है; बंधुता इस देश के नागरिकों में 'व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंध्ता'। में आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं? क्या संविधान में हस्ताक्षर होने की तिथि के 57 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी इस देश के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंध्ता प्राप्त हो चुके हैं? यदि आपका उत्तर सकारात्मक– हां में है तो मुझे अपना वक्तव्य यहीं समाप्त कर देना चाहिए और इस सभा को भी विसर्जित कर देना चाहिए। आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि आपका उत्तर न में है, जैसा कि मैं स्वयं को देता हूं तब हमें कुछ गंभीर चिंतन और विचारोद्वेलन करने की आवश्यकता है। यह संविधान, जैसा कि उद्देशिका कहती है 'हम भारत के लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया' स्वयं ही रचा, स्वयं को अर्पित किया है इसलिए कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम भारत के लोगों ने ही लड़ा था जिसके परिणामस्वरूप हम अपना संविधान रच सकने योग्य हुए। यदि अपने ही उद्देश्यों के प्रति हम सफल नहीं हो पाए हैं तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जारी रहना चाहिए। एक विचारक ने कहा है कि - 'Though we have won the war of Independence, we are yet to be Independent' । हम स्वतंत्रता संग्राम में विजयी हो चुके हैं किन्तु स्वतंत्र होना अभी भी बाक़ी है। यह लड़ाई अब क्यूं होगी? साहिल लुध्यानवी की एक गज़ल है उसके दो अंश इस अवसर के लिए समीचीन हैं।

साहिल लुध्यानवी ने उनको याद किया जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए इस देश की मिट्टी पर अपना खून बहाया। अपनी ज़मीन को विदेशी शासकों से आज़ाद कराने की जंग तो ख़त्म हो चुकी है पर एक जंग लड़ना और बाक़ी है। जब तक वो जंग नहीं लड़ी जाएगी हमारे क्रांतिकारियों का बहाया गया खून व्यर्थ जाएगा। केवल आज़ादी हासिल करना काफी नहीं है। आज़ादी को बनाए रखना भी ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है आज़ादी हासिल करने के मक़सद पूरे करना। साहिल लुध्यानवी लिखते हैं:—

यह ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है यह जंग है बका के उसूलों के वास्ते जो खून हमने नज़र दिया है ज़मीन को वह खून है गुलाब के फूलों के वास्ते

शिव खेड़ा ने कहा है कि कोई भी देश चोर—उच्चकों की करतूतों से बर्बाद नहीं होता; देश बर्बाद होता है तब जबिक देश का बुद्धिजीवी और तथाकथित समझदार नागरिक निष्क्रिय, कृायर और निकम्मा हो जाता है। साहिल लुध्यानवी के लफ्ज़ों में—

ज़ालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है

ये दूसरी लड़ाई लड़ने की तैयारी देश के बुद्धिजीवियों को करनी होगी, उन्हें करनी होगी जो आज इस सभागार में मौजूद हैं।

एक रोचक कहानी। थोड़े से विनोद के लिए। एक आदमी जंगल में भटक गया। एक शेर की नज़र उस पर पड़ गई। शेर ने कहा— मैं भूखा हूं, प्यास भी हूं, तुझे खा**T**गा और तेरा खून पी**T**गा। वह व्यक्ति बोला— मुझे खाकर और मेरा खून पीकर आपको क्या मिलेगा? मैं वैसे ही दुबला—पतला हूं। मेरे देश में भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, बरोज़गारी है पर मैं कभी कुछ नहीं कहता। मेरा खून ठंडा हो गया है। इस खून को पीने में आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं भारतवासी हूं।

शेर बोला— मैं तुझे छोडूंगा नहीं। तेरा खून ठंडा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आज गरमी बहुत है। मैं भी कोल्डड्रिंक पीना चाहता हूं। इस बेबस इंसान और शेर की बातचीत सुनकर हो सकता है कि हमारे ओठों पर मुस्कान फैल गई हो किन्तु सभी के दिल में कहीं न कहीं एक तड़प भी पैदा हुई। क्या यह आज़ादी है जो इस देश के नागरिकों की तक़दीर है?

हमने तरकि की है पर इस तरकि में हिस्सा सबको नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से भी ज़्यादा बदहाल हैं। सड़क पर बड़ा सा गड़्वा है। एक एयर कंडीश्नर लग्ज़री कार उस गड़्ढें में गिरती है और टूट जाती है। कार का मालिक कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल या आज शाम दूसरी गाड़ी खरीद लूंगा। थोड़ी देर में एक बस, जिसे आम आदमी खटारा कहता है वह आती है और उस गड्ढें में गिर जाती है। बस के यात्री बस से उतर जाते हैं और यह कहते हुए अपनी—अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं कि ऐसी सड़कें और ऐसी बसें ही हमारी तक़दीर में लिखी हैं। क्या किया जा सकता है। वे न तो बस को कोसते हैं, न सड़क को और न सड़क को बदहाल करने वालों के प्रति कोई विचार उनके मन में आते हैं। वे सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए अपने भाग्य को दोषी ठहराकर संतोष कर लेते हैं। लग्ज़री कार के मालिक को बस के यात्रियों की चिन्ता नहीं पर बस के यात्री लग्ज़री कार के मालिक से कोई अपेक्षा नहीं करते।

जब तक यह अंतर समाप्त नहीं होगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लक्ष्य प्राप्त हुए नहीं कहे जा सकते। मैंने 'Country First' आंदोलन के उद्देश्य पढ़े हैं, कार्यपद्धित की जानकारी ली है, जो लोग इससे जुड़े हैं उन्हें समझा है, मैं आश्वस्त हूं कि 'Country First' एक ऐसा मार्ग है। और इसी लिए एक नागरिक की हैसियत से इससे जुड़कर मैं आज यहां उपस्थित हूं।